S.T. No –164/2022

Witness No. **02** For ---- **अभियोजन साक्षी** Deposition Taken

the **17/02/2023** - day of – **शुक्रवार** Witness's apparent age 55 **वर्ष**

States on affirmation - **शपथपूर्वक** My name is **श्रीमती जयमन**

w/ of - **श्री सुखराम** occupation – **गृहणी**

address ग्राम गुडरू **थाना रघुनाथनगर** **जिला बलरामपुर–रामानुजगंज छ.ग.**

1– मैं आरोपी हृदय लाल को जानती पहचानती हूं। वो मेरा दमाद है। मैं मृतिका रूपन बाई को भी जानती हूं। वो मेरी पुत्री है। घटना बीते साल जुलाई अगस्त धान रोपाई के समय का बात है। घरेलू वाद विवाद में मेरा दमाद हृदय लाल मेरी पुत्री रूपन को मार पीट किया था। घटना दिनांक को ही आरोपी हृदय लाल का भाई प्यारे लाल शाम 5 बजे मेरे पति को फोन करके बताया कि अपकी लड़की बोल चाल नहीं कर रही है। आ कर देख लिजिए। मैं, मेरे पति एवं भतीजा सोनेलाल के साथ लड़की के घर गये थे। जब लड़की के घर पहुंचे तब देखे कि मेरी लड़की पेट के बल सोई हुई थी। अगल बगल खून की धारा लगा हुआ था। इस घटना को देखने के बाद मै आरोपी हृदय लाल से पूछी कि रूपन बाई क्या गुनाह की है कि ऐसा कर दिये। ऐसा बात सुन कर मेरे को दामाद तुरंत लकड़ी का फराठी लेकर दौड़ाया था। तब मैं दौड़ कर भाग गयी लोग बीच बचाव किये थे तब बच गयी थी। मेरा दमाद मेरी पुत्री को हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करता था। मेरी नाती सुमन बतायी थी कि मेरी मां को पिताजी ही लकड़ी फराठी से मार पीट किए हैं।

2– वहां सलाह मशवरा कर मेरी लड़की रूपन को ईलाज मैं एवं मेरे साथ रूपन की सास भी साथ में रघुनाथनगर अस्पताल गये थे। प्रारंभिक उपचार कर बेहतर ईलाज के लिए वाड्रफनगर अस्पताल भेजे थे। वाड्रफनगर अस्पताल पहुंचने पर वहां के डॉक्टर थोड़ा बहुत ईलाज कर देखा कि बेहोशी के हालत में ही था और ठीक नहीं हुआ तो बेहतर ईलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल भेज दिये थे। अंबिकापुर अस्पताल में 1–2 दिन ईलाज हुआ था।

मेरी लड़की ईलाज के दौरान मर गयी थी। वाहां से शव उसके ससुराल लाए थे वहीं दाह संस्कार हुआ था।

<u>प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त द्वारा श्री अरविंद गुप्ता अधि.–</u>

3– यह कहना सही है कि मेरे सामने आरोपी मृतिका से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। यह कहना सही है कि मैं लड़ाई झगड़ा होते नहीं देखी हूं तथा दूसरों के बताए अनुसार सुनी सूनाई बातों को बता रही हूं। यह कहना सही है कि मेरी पुत्री मृतिका के साथ हुए विवाद के संबंध में मेरे द्वारा कोई पंचायत नहीं कराया गया है। यह कहना सही है कि रूपन बाई शरीर से कमजोर थी। तथा वह बिमार थी। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की मृतिका लकड़ी लेने जंगल गयी थी तथा लकड़ी रखते समय गिरने से उसके सिर में चोट आई। यह कहना सही है कि मेरे साथ मेरे दमाद द्वारा कोई मारपीट नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले पुलिस वाले मेरे से पूछताछ नहीं किये है। यह कहना सही है कि पुलिस वाले बयान को पढ़कर नहीं सुनाए थे मै पढ़ी लिखी नहीं हूं इसलिए स्वंय से भी नहीं पढ़ी। यह कहना सही है कि मेरे दमाद आरोपी से पूर्व से ही अच्छा संबंध नहीं है।

4– यह कहना गलत है कि मेरे दमाद से मेरा अच्छा संबंध नहीं है इसलिए उसे फंसाने के लिए आज झूठा गवाही दे रही हूं।

साक्षी के बताये अनुसार उक्त बयान लेखबद्ध
किया गया, उसे बयान पढ़, कर सुनाया समझाया
गया, उसने सही होना स्वीकार किया।

MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Digitally signed by MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Date: 2023.02.17 15:53:35 +0530

(मधुसूदन चन्द्राकर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर, स्थान–रामानुजगंज छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित

MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Digitally signed by MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Date: 2023.02.17 15:54:00 +0530

(मधुसूदन चन्द्राकर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर, स्थान–रामानुजगंज छ.ग.

S.T. No –164/2022

Witness No. **01** For ---- **अभियोजन साक्षी** Deposition Taken

the **17/02/2023** - day of – **शुक्रवार** Witness's apparent age 62 **वर्ष**

States on affirmation - **शपथपूर्वक** My name is **श्री सुखराम सिंह**

s/ of - **स्व. यदुनाथ सिंह** occupation – **कृषि**

address ग्राम गुडरू **थाना रघुनाथनगर** **जिला बलरामपुर–रामानुजगंज छ.ग.**

1– मैं आरोपी हृदय लाल को जानता पहचानता हूं। वो मेरा दमाद है। मैं मृतिका रूपन बाई को भी जानता हूं। वो मेरी पुत्री है। घटना बीते साल जुलाई अगस्त धान रोपाई के समय का बात है। घरेलू वाद विवाद में मेरा दमाद हृदय लाल मेरी पुत्री रूपन को मार पीट किया था। घटना दिनांक को ही आरोपी हृदय लाल का भाई प्यारे लाल शाम 5 बजे फोन करके बताया कि अपकी लड़की बोल चाल नहीं कर रही है। आ कर देख लिजिए। मैं, मेरी पत्नी एवं भतीजा सोनेलाल के साथ लड़की के घर गये थे। जब लड़की के घर पहुंचे तब देखे कि मेरी लड़की पेट के बल सोई हुई थी। अगल बगल खून की धारा लगा हुआ था। इस घटना को देखने के बाद मेरी पत्नी आरोपी हृदय लाल से पूछा कि रूपन बाई क्या गुनाह की है कि ऐसा कर दिये। ऐसा बात सुन कर मेरा दामाद तुरंत लकड़ी का फराठी लेकर दौड़ कर मेरी पत्नी को भी मारने का प्रयास किया था। लोग बीच बचाव किये थे तब बच गयी थी। मेरा दमाद मेरी पुत्री को हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करता था। मेरी नाती सुमन बतायी थी कि मेरी मां को पिताजी ही लकड़ी फराठी से मार पीट किए हैं।

2– वहां सलाह मशवरा कर मेरी लड़की रूपन को ईलाज के मेरी पत्नी के साथ रूपन के सास भी साथ में रघुनाथनगर अस्पताल ले गये थे। प्रारंभिक उपचार कर बेहतर ईलाज के लिए वाड्रफनगर अस्पताल भेजे थे। वाड्रफनगर अस्पताल पहुंचने पर वहां के डॉक्टर थोड़ा बहुत ईलाज कर देखा कि बेहोशी के हालत में ही था और ठीक नहीं हुआ तो बेहतर ईलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल भेज दिये थे। अंबिकापुर अस्पताल में 1–2 दिन ईलाज

हुआ था। मेरी लड़की ईलाज के दौरान मर गयी थी। वाहां से शव उसके ससुराल लाए थे वहीं दाह संस्कार हुआ था।

3– पुलिस वाले मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ किए थे और मेरा बयान लिखे थे। घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा ही चौकी बलंगी में किया था लेकिन मुझे आज याद नहीं है कि कौन सा दिन दिनांक था। प्रथम सूचना पत्र **प्र.पी–1** है जिस पर मेरे अंगूठा का निशान है। पुलिस वाले मौका पर आ कर मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किए थे। जो **प्र.पी–2** है जिस पर मेरे अंगूठा के निशान है। पटवारी भी आकर मौका नक्शा बनाया था। जिसमें मेरा अंगूठा का निशान है। पुलिस वाले मुझसे पीड़िता का पहना हुआ ब्लाउज जिसमें खून लगा हुआ था को जप्त किये थे।

नोट– चायकाल अवकाश होने के कारण साक्षी का प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

साक्षी के बताये अनुसार उक्त बयान लेखबद्ध किया गया, उसे बयान पढ़, कर सुनाया समझाया गया, उसने सही होना स्वीकार किया।

MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Digitally signed by MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Date: 2023.02.17 15:55:08 +0530

(मधुसूदन चन्द्राकर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर, स्थान–रामानुजगंज छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित

MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Digitally signed by MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Date: 2023.02.17 15:55:28 +0530

(मधुसूदन चन्द्राकर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर, स्थान–रामानुजगंज छ.ग.

नोट– चायकाल बाद साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त द्वारा श्री अरविंद गुप्ता अधि.–</u>

4– यह कहना सही है कि मेरे सामने आरोपी मृतिका से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। यह कहना सही है कि मैं लड़ाई झगड़ा होते नहीं देखा हूं तथा दूसरों के बताए अनुसार सुनी सूनाई बातों को बता रहा हूं। यह कहना सही है कि मेरी पुत्री मृतिका के साथ हुए विवाद के संबंध में मेरे द्वारा कोई पंचायत नहीं कराया गया है। यह कहना गलत है कि रूपन बाई शरीर से कमजोर थी तथा वह गिर गयी थी जिससे उसके सिर में चोट आई। यह कहना सही है कि मेरी पत्नी जयमन के साथ मेरे दमाद द्वारा कोई मारपीट नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि पुलिस एवं पटवारी द्वारा मेरे सामने कोई नक्शा

नही बनाया गया था। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मुझसे कोई पूछताछ नहीं किये थे। यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझसे क्या बयान लिए थे उसे पढ़ कर नहीं सुनाए और मैं भी पढ़ कर नहीं देखा था।

5– यह कहना गलत है कि मेरे दमाद से मेरा अच्छा संबंध नहीं है इसलिए उसे फंसाने के लिए आज झूठा गवाही दे रहा हूं।

साक्षी के बताये अनुसार उक्त बयान लेखबद्ध किया गया, उसे बयान पढ़, कर सुनाया समझाया गया, उसने सही होना स्वीकार किया।

MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Digitally signed by MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Date: 2023.02.17 15:55:51 +0530

(मधुसूदन चन्द्राकर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर, स्थान–रामानुजगंज छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित

MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Digitally signed by MADHUSUDAN CHANDRAKAR
Date: 2023.02.17 15:56:17 +0530

(मधुसूदन चन्द्राकर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर, स्थान–रामानुजगंज छ.ग.

S.T. No –164/2022